न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

स्पे0अपील/एलआर/2724/2002/चुरू
रतनाराम पुत्र श्री फूलाराम जाति जाट, निवासी ग्राम सीतसर तहसील रतनगढ जिला चुरू।

अपीलाण्ट

बनाम

1– मोहनराम पुत्र श्री आशाराम जाति जाट ।
2– जेठाराम पुत्र श्री गोपाराम जाति मेघवाल ।
समस्त निवासी ग्राम सीतसर तहसील रतनगढ जिला चुरू।
3– राजस्थान सरकार

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य
डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री ओ0पी0भट्ट , अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1
रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबजूद सूचना अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 14–7–2021

यह स्पेशल अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–4–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, रतनगढ द्वारा आदेश दिनांक 5–11–86 द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आराजी खसरा नंबर 200 गैर मुमकिन रास्ते की 7 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसके विरूद्ध बेदखली एवं शास्ति आरोपित किए जाने के आदेश दिए । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील अतिरिक्त जिलाधीश, चुरू के यहां प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 31–5–89 से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया । अपीलाण्ट ने उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 10–10–97 से अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिलाधीश

का आदेश दिनांक 29–8–86 निरस्त कर दिया । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10–10–97 के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की ।जिसे माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 23–4–2002 से स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश दिनांक 10–10–97 निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, चुरू का निर्णय दिनांक 29–8–86 यथावत रखा तथा तहसीलदार को धारा 91 के तहत विधिसम्मत निर्णय हेतु निर्देशित किया गया है । माननीय एकलपीठ के निर्णय दिनांक 23–4–2002 से व्यथित होकर यह स्पेशल अपील माननीय खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया कि माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को निगरानी प्रस्तुत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था । केवल राज्य सरकार ही अपील प्रस्तुत कर सकती थी । तहसीलदार का आदेश दिनांक 27–12–90 मूलतः क्षेत्राधिकार रहित नहीं कहा जा सकता क्योंकि तहसीलदार द्वारा रास्ते की भूमि पर न तो अपीलाण्ट को खातेदारी दी है और न ही खसरा नंबर 200 पर कोई खातेदारी अधिकार दिया है बल्कि खसरा नंबर 223 जो खसरा नंबर 200 की एक्जीस्टेन्स है, उसमें परिवर्तन किया है जो मूलतः पूर्व नक्शे के अनुसार यह परिवर्तन किया गया है । तहसीलदार, रतनगढ इस प्रकार का आदेश पारित करने में सक्षम था । माननीय एकलपीठ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 एवं इसके तहत बने नियमों को नजरअंदाज किया है । अतः स्पेशल अपील स्वीकार माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे ।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अपीलाण्ट द्वारा रास्ते के खसरा नंबर 200 में से 7 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण करने से उसके विरूद्ध पूर्व में कार्यवाही की गई थी । विवादित रास्ता कटानी व सार्वजनिक रास्ता है जिसको परिवर्तित करके कटानी रास्ता की जगह की अदला बदली की जा रही है । बंदोबस्त विभाग द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंध में संशोधन सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है तहसीलदार रतनगढ को इस प्रकार के रेकार्ड में संशोधन करने का अधिकार नहीं है । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय

निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। माननीय एकलपीठ द्वारा विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है । जिसमें स्पेशल अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः स्पेशल अपील खारिज की जावे ।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–12–90 में यह स्पष्ट लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खसरा नंबर 200 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते पर रतनलाल पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी सीतसर द्वारा सं02083 में 7 बिस्वा भूमि पर बाजरा मोठ काश्त करके अतिक्रमण कर लिया है । सरपंच ग्रम पंचायत कनसारी के पत्र दिनांक 11–7–86 के अनुसार लिखा गया कि सीतसर के श्री रतनाराम पुत्र फूसाराम ने रिपोर्ट पेश की है कि मेरे खेत में से ग्राम सीतसर से मैनासर का जो रास्ता आया है, उसको कुछ कारणवश परिवर्तन किया है जिसके कारण कुछ लोग मेरी फसल को नुकसान पहुँचाने के लिए तुले हुए है । इस रास्ते बाबत पंचायत में पत्रावली भी विचाराधीन है जिसका निर्णय किया जाना है । तहसीलदार, रतनगढ द्वारा दिनांक 5–11–86 को अपीलाण्ट को अतिक्रमी व पाँच रूपये की शास्ति से आरोपित किया । तहसीलदार, रतनगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 27–12–90 द्वारा खसरा नंबर 220 गैर मुमकिन रास्ता कायम रखते हुए खसरा नंबर 223 में जहां रास्ता गुजरता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 27–12–90 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 200 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जो कि ग्राम सीतसर में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है । उसमें से 7 बिस्वा भूमि पर रतनाराम द्वारा अतिक्रमण करना रिपोर्ट पटवारी से साबित होता है । इसके बाबजूद तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में खसरा नंबर 200 की कुल रकबा 3 बीधा 12 बिस्वा में से 7 बिस्वा भूमि रास्ते की कम की जाकर इतनी ही भूमि का खसरा नंबर 223 जो रतनाराम की खातेदारी की थी, के पश्चिम व दक्षिण पर मेड कायम की जाकर उसकी पूर्ति की है जबकि सार्वजनिक रास्ते में संशोधन सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । तहसीलदार को इस प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है । यहाँ अपीलाण्ट की स्थिति एक अतिक्रमी की थी । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–10–90 द्वारा जो आदेश

दिया गया था, उसमें खसरा नंबर 200 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में से 7 बिस्वा रास्ते में कम की जाकर उतनी ही भूमि खसरा नंबर 223 जो रतनाराम की खातेदारी की है के पश्चिम व दक्षिण मेड पर कायम की जाकर उसकी पूर्ति की है । इस प्रकार अतिक्रमण के प्रकरण में तहसीलदार ने रास्ते के परिवर्तन करने का निर्णय पारित किया है जिसका कि उसे कोई अधिकार नहीं था । माननीय एकलपीठ द्वारा अपने निर्णय से इसका विस्तृत विवेचन किया है एवं तहसीलदार को निर्देशित भी किया है कि प्रकरण में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय पारित किया जावे । हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उठाये गए सभी बिन्दुओं पर माननीय एकलपीठ द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है । ऐसे विधिसम्मत निर्णय में स्पेशल अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः स्पेशल अपील निरस्त योग्य है ।

7- उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह स्पेशल अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) **(रामनिवास जाट)**

सदस्य **सदस्य**